

जी नहीं।

जी नहीं।

मदरसा आधुनिकीकरण की योजना केन्द्र पुरोनिधानित है। भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन गाइड लाइंस दिनांक 13.07.2018 में निर्धारित मानकों/ पात्रता के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है तथा शासनादेश संख्या-2432/52-3-2018-बजट(17)/2010, दिनांक 11 जनवरी, 2019 द्वारा योजनान्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए गये हैं। इसलिए अलग से नियमावली बनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

धर्मपाल सिंह

मंत्री,

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।